न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 223/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मिथिलेश दास एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02/02/2021		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1653/म0नि0को0, दिनांक–23.10.2020 से प्राप्त अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–139/20 दिनांक 09.08.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07AL-6431** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी मिथिलेश दास, पिता–सहदेव दास, साकिन– मनोरथा, पो0– हवासा, थाना– अशोक पेपर मिल, जिला– दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल हैं, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि ग्राम मनोरथा में काफी मात्रा में देशी शराब चुलाई कर बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस बल जब ग्राम मनोरथा पहुँचे तो देखा गया कि एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भाग रहा है, जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। तत्पश्चात विधिवत् पकड़ाये व्यक्ति के घर एवं निशानदेही पर अन्य व्यक्ति के घर की तलाशी लेने पर अलग–अलग मात्रा में देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। इसी क्रम में मिथिलेश दास, पे0– स्व0 सहदेव दास के घर की तलाशी लेने पर आँगन में रखा एक पैशन प्रो मोटरसाईकिल के डिक्की में छुपाकर रखा हुआ 02 (दो) लीटर देशी शराब एवं अन्य स्थल से भी देशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध शराब का बिक्री, निर्माण, आयात अथवा निर्यात में संलिप्तता नहीं रहा है। उनके वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AL-6431** से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। उक्त वाहन को उनके घर के आँगन से जब्त किया गया है। अवैध बरामदी से उनका कोई मतलब नहीं है। अतः उक्त जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय, इसके लिए प्रतिभूति आदि देने को तैयार हैं।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR07AL-6431** के डिक्की से 02 (दो) लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुआ है। साथ ही विपक्षी के घर से भी अवैध देशी शराब बरामद हुआ है, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा एवं विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो, जबकि विपक्षी के घर से और उक्त वाहन के डिक्की से शराब बरामद हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में अशोक पेपर मिल थाना कांड सं0–139/20 दिनांक 09.08.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AL-6431** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त थाना कांड में एक अन्य वाहन स्कूटी रजि0 नं0– **BR07AN-2846** भी जब्त किया गया है, जिसका राज्यसात् प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से अद्यतन तक अप्राप्त है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को स्मारित करें।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR07AL-6431** की कार्यवाही समाप्त की जाती है। शेष जब्त वाहन की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख पुनः दिनांक 19/2/21 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा